भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4124
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन

4124. श्री विद्युत बरन महतो :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में इस्पात क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ये पहल किस प्रकार घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "मेक इन इंडिया" अभियान अनुरूप है;

(ख) भारतीय इस्पात क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दिए जा रहे वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और रोजगार सृजन तथा उत्पादन क्षमता पर इन प्रोत्साहनों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस्पात उद्योग के सतत विकास और इसे पर्यावरण हितैषी बनाना सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इस्पात विनिर्माण में हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने स्वदेशी इस्पात उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार, अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को बढ़ाने, आयात निर्भरता और उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. 'मेड इन इंडिया' स्टील का संवर्द्धन एवं निवेशों को बढ़ाना:-

क. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।

ग. केंद्रीय बजट में अवसंरचना विस्तार पर जोर दिया गया है जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

जारी...2/-

ii. कच्ची सामग्री की उपलब्धता में सुधार करना तथा कच्ची सामग्री की लागत में कमी करना:-

क. फेरो-निकेल नामक कच्ची सामग्री पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है जिससे यह शुल्क-मुक्त हो गई है।

ख. बजट, 2024 में फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट को 31.03.2026 तक जारी रखा गया है।

ग. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करके घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाना। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले स्टील ही उपलब्ध कराए जाएं।

(ग) इस्पात विनिर्माण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित प्रौद्योगिकयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय निम्नानुसार हैं :-

i. मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक उपलब्ध कराने के लिए हरित इस्पात का वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्यों हेतु ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भावी रोडमैप प्रदान करता है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है।

iv. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

*****